सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 425 राँची, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 जुलाई, 2026

संख्या-5/आरोप-1-31/2023-37431 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री भोला शंकर महतो, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-602/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध कुल रकबा 17.18 ए0 भूमि के जाँच प्रतिवेदन में तथ्य को छुपाने का प्रयास करने, खतियानी रैयतों के वंशजो की वंशावली सत्यापित नहीं करने, दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence) को न देखकर ग्रामीणों के बयान के आधार पर भूमि का स्वामित्व के संबंध में प्रतिवेदन देने एवं दायित्वों के निर्वाहन में घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-204/स्था0, दिनांक 07.06.2023 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

3. अतः श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. तदनुसार एतद् द्वारा श्री महतो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

5. श्री महतो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरूण वाल्टर संगा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, रामगढ़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री भोला शंकर महता, झा0प्र0से0 एवं श्री अरूण वाल्टर संगा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	BHOLA SHANKER MAHTO 110017710582	श्री भोला शंकर महतो, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-602/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 425 - 50